न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 04/2025 **दायर दिनांकः 03.01.2025**

उनवान

1. यास्मीन बानो आयु 43 वर्ष पत्नी अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी कुन्जैड तह० अटरू जिला बारा (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 12.06.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एव माल कुन्जैड तहसील अटरू में खाता सं. 337 के खसरा नं. 1820/688 का रकबा 1.14 हे० कुल 1 किता 5 का रकबा 1.14 हे० खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है । प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार के स्थान पर यास्मीनबैगम पत्नी गफ्फारमोहम्मद अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया का सही नाम यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार है जो कि उसके आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड पैन कार्ड आदि दस्तावेजो में भी यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार नाम ही दर्ज है, तथा ग्राम पंचायत कुन्जैड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम यास्मीनबैगम पत्नी गफ्फारमोहम्मद के स्थान पर यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार दर्ज करवाने के अधिकारी है । अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक

कार्य से प्रार्थीया का नाम यास्मीनबैगम पत्नी गफ्फारमोहम्मद कर देने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही करपा रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल कुन्जैड पटवार हल्का कुन्जैड तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है । अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल कुन्जैड तहसील अटरू में खाता से 337 के खसरा नं 1820/688 का रकबा 1.14 हे० कुल किता 1 का रकबा 1.14 हे० आराजी में प्रार्थीया का नाम यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1569 दिनांक 13.05.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड सम्वत 2074–77 खाता संख्या 337, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत कुन्जैड प्रमाण पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एंव माल कुन्जैड तहसील अटरू में खाता से 337 के खसरा नं 1820/688 का रकबा 1.14 हे० कुल किता 1 का रकबा 1.14 हे० आराजी में यास्मीनबैगन पत्नी गफ्फारमोहम्मद के स्थान पर यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एंव माल कुन्जैड तहसील अटरू में खाता से 337 के खसरा नं 1820/688 का रकबा 1.14 हे० कुल किता 1 का रकबा 1.14 हे० आराजी में यास्मीनबैगन पत्नी गफ्फारमोहम्मद के स्थान पर यास्मीन बानो पत्नी अब्दुल गफ्फार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां